**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 979**

**बुधवार 29 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**एमआईआईयूएस की शुरुआत**

**अता.प्र.सं. 979. श्री देवेंदर गौड टी.:**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (एमआईआईयूएस) की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना औद्योगिक पार्क योजना से कैसे भिन्न है;

(ग) क्या यह भी सच है कि तेलंगाना की दो परियोजनाओं के प्रस्तावों को सैद्धान्तिक मंजूरी दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन परियोजनाओं की स्थिति क्या है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

1. : जी, हां।

(ख): “संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (एमआईआईयूएस)” और “औद्योगिक पार्क योजना (आईपीएस)” के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:-

|  |  |
| --- | --- |
| **एमआईआईयूएस** | **आईपीएस** |
| 1. एमआईआईयूएस चुनिंदा कार्यात्मक क्लस्टरों/स्थानों में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना उपलब्ध कराकर घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2003 में शुरू की गई थी, जो आईआईयूएस के क्रम में है। इस योजना को 2009 में पुनर्निर्मित किया गया औऱ 2013 में संशोधित किया गया। | 1. आईपीएस की शुरूआत वर्ष 2002 में की गई थी इस योजना का मुख्य लक्ष्‍य निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके औद्योगिक मॉडल टाउन, औद्योगिक पार्क औऱ भारत सरकार की वृद्धि केंद्र योजना के तहत वृद्धि केंद्र के रुप में मूलभूत औद्योगिक अवसंरचना के विकास के लिए निवेश आकर्षित करना है। |
| 1. एमआईआईयूएस के तहत पिछड़े क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में ग्रीन फील्ड परियोजनाओं सहित मौजूदा औद्योगिक पार्कों/एस्टेट/क्षेत्र में अवसंरचना उन्नयन के लिए परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। परियोजनाएं राज्य सरकार की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) के जरिए कार्यान्वित की जानी है। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के 25 प्रतिशत हिस्से के राज्य एजेंसी के न्यूनतम अंशदान सहित 50.00 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक केंद्रीय अनुदान पर विचार किया जा सकता है तथा पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में केद्रीय अनुदान और एसआईए का न्यूनतम अंशदान क्रमशः 80 प्रतिशत और 10 प्रतिशत हो सकता है। एसआईए को 3 किस्तों में केंद्रीय अनुदान जारी किया जाता है जो अन्य हितधारकों, यदि कोई हो, सहित एसआईए द्वारा समान अंशदान दिए जाने के अध्यधीन है। | 1. विभाग ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80(I) के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए उपक्रमों से प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों पर विचार किया है। उपक्रम औद्योगिक मॉडल टाउन/औद्योगिक पार्क/वृद्धि केंद्र की शुरूआत की तारीख से 15 वर्षों के ब्लॉक में से लगातार 10 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए 100 प्रतिशत आयकर लाभ हेतु पात्र थे। |
| 1. यह स्कीम 12वी पंचवर्षीय योजना में प्रचालन में है। | 1. यह योजना 1 अप्रैल 2006 से समाप्त कर दी गई है। |

1. : जी, हां। दोनों परियोजनाओं को ‘अंतिम अनुमोदन’ भी दिया गया है।
2. : परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(रुपए करोड़ में)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **परियोजना का नाम एवं स्थान** | **परियोजना लागत** | **अनुमोदित केंद्रीय अनुदान** | **‘अंतिम अनुमोदन’ की तारीख** |
| 1. पशमीलरन औद्योगिक क्षेत्र, मेडक, तेलंगाना | 64.24 | 23.56 | 05.03.2015 |
| 1. पैडी प्रसंस्करण क्लस्टर, रंगा रेड्डी, तेलंगाना | 124.50 | 48.00 | 10.07.2015 |

परियोजनाओं में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

\*\*\*\*\*